न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 36/2024
अनवान : –

1. जेसराज पुत्र रामकिशन जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय — दिनांकः 20/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 402/379 की कुल 0.506 हैक्ट भूमि में प्रार्थी अकेला 1/4 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता 510/477 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 403/380 की कुल 2. 2770 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 99/98 की कुल 10. 8790 हैक्ट भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम जसराज पुत्र रामकिशन दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम प्रार्थी के दस्तावेजो यथा आधार कार्ड आदि में जेसराज पुत्र रामकिशन दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में जसराज पुत्र रामकिशन के स्थान पर अपना सही व वास्तविक नाम जेसराज पुत्र रामकिशन दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का नाम जसराज पुत्र रामकिशन के स्थान पर सही नाम जेसराज पुत्र रामकिशन दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:17:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम जेसराज पुत्र रामकिशन है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जसराज पुत्र रामकिशन दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम जेसराज पुत्र रामकिशन दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 402/379 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि में प्रार्थी अकेला 1/4 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता 510/477 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 403/380 की कुल 2.2770 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 99/98 की कुल 10.8790 हैक्ट भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी अपना नाम जसराज पुत्र रामकिशन के स्थान पर जेसराज पुत्र रामकिशन दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम जेसराज पुत्र रामकिशन अंकित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 402/379 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि में प्रार्थी अकेला 1/4 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता 509/476 की कुल 9.8670 रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता 510/477 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 403/380 की कुल 2.2770 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 99/98 की कुल 10.8790 हैक्ट भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम **जसराज पुत्र रामकिशन के स्थान पर जेसराज पुत्र रामकिशन का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच जसराज के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का जसराज के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम जसराज ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 20/05/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:17:28 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

क्रमांक : रीडर/सशोधन/2023/ 478 दिनांक : 22/5/24

तहसीलदार,

नोहर।

विषय :– प्रकरण स0 36/2024 अनवानी जेसराज आदि बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या – 36/2024

अनवान : –

1. जेसराज पुत्र रामकिशन जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 402/379 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि में प्रार्थी अकेला 1/4 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता 509/476 की कुल 9.8670 रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता 510/477 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 403/380 की कुल 2.2770 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 99/98 की कुल 10.8790 हैक्ट भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम **जसराज पुत्र रामकिशन के स्थान पर जेसराज पुत्र रामकिशन का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच जसराज के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का जसराज के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम जसराज ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर

नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:17:28 IST
Reason: SelfAttested